**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1481**
**(07 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**पीएमजीएसवाई का कार्यान्वयन**

**1481. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:**
**श्री जयंत सिन्हा:**
**श्री सौमित्र खान:**
**श्री सदाशिव किसान लोखंडे:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरूआत से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत देश में निर्मित सड़कों की लंबाई क्या है तथा विशेषकर से झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का वर्ष-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सड़कों के चयन के लिए मानदंड क्या है तथा संसद-सदस्य (लोकसभा) से प्राप्त सिफारिशी पत्र इस योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए एक मानक है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(घ) क्या सरकार के पास इसकी जांच संबंधी कोई प्रक्रिया है और क्या स्वीकृत सड़कों का कार्य ठीक से पूरा हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) आज की तिथि के अनुसार, इसकी रखरखाव-लागत सहित कुल लागत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सभी सड़कों का निर्माण इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है/किया जा रहा है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

(क): 2 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 6,79,298 कि.मी. सड़क का निर्माण किया गया है। पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्मित सड़क लंबाई का राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **वेबसाईट** **omms.nic.in->progress monitoring->Financial Yearwise Achievement** से प्राप्त किया जा सकता है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) से (ग): पीएमजीएसवाई-I, जिसके अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निर्धारित जनसंख्या आकार की पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, के नए संपर्कता घटक के अंतर्गत लक्षित बसावटों को जोड़ने वाली सड़कों को स्वीकृति दी गई है। उन्नयन घटक के अंतर्गत, ऐसी मध्यवर्ती लिंक सड़कों को, जो बारहमासी सड़कों के मानकों के अनुरूप नहीं थी, को तय मानकों के अनुसार उन्नयन के लिए स्वीकृति दी गई है।

पीएमजीएसवाई-II जिसके अंतर्गत लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवा प्रदाता के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क की समग्र कार्यकुशलता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है, के तहत किसी जिले/ब्लॉक विशेष में सड़कों का चयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पात्र सड़कों की आर्थिक संभावनाओं और ग्रामीण बाजार केंद्रों एवं ग्रामीण हब के विकास में उनकी भूमिका के आधार पर परिकलित उन पात्र सड़कों के उपयोगिता मूल्य के आधार पर किया गया है।

सुरक्षा बलों के निरंतर और निर्बाध वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों में सहायता करने तथा क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य से शुरू की गई वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन राज्यों और सुरक्षा बलों के परामर्श से गृह मंत्रालय करता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III, जिसमें बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले मौजूदा थ्रू-रूटों और ग्रामीण लिंकों के सुदृढ़ीकरण करने की परिकल्पना की गई है, के तहत किसी जिला/ब्लॉक विशेष में सड़कों का चयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पात्र सड़कों से लाभान्वित जनसमुदाय और उस सड़क से जुड़ने वाले बाजार, शैक्षणिक, चिकित्सीय और परिवहन अवसंरचना सुविधाओं के आधार पर परिकलित उन सड़कों के उपयोगिता मूल्य के आधार पर किया जाता है।

पीएमजीएसवाई में सड़कों की आयोजना, चयन और निगरानी स्तरों पर जनप्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने की अंतर्निहित प्रणाली है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों के चयन के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर पूर्णरुपेण विचार किया जाता है और ऐसे प्रस्ताव जिन्हें शामिल नहीं किया

जा सकता है, उन्हें प्रत्येक मामले में ऐसे प्रस्ताव को शामिल न करने के कारणों के साथ संसद सदस्यों को लिखित में सूचित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों पर उचित ध्यान दे, मंत्रालय ने 02 जून, 2020 को राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ यह परामर्श दिया गया है कि वे संसद सदस्य को स्वीकृति के लिए प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तावों की अंतिम सूची भेजें जिसमें कतिपय सड़कों को शामिल नहीं किए जाने के कारण दिए गए हों और अनुमोदन के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर उनकी स्वीकृति प्राप्त करें।

(घ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के प्रस्तावों की जांच और उसके पश्चात स्वीकृति के लिए कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में एक विस्तृत प्रक्रिया और कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट की गई है। राज्य तकनीकी एजेंसियां राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रस्तावों की जांच करती हैं और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। मंत्रालय ने भी राज्यों के विभिन्न समूहों के लिए प्रमुख तकनीकी एजेंसी (पीटीए) के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों की पहचान की है, जो कम से कम 10% प्रस्तावों की जांच करते हैं। एक बार राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण (एनआरआईडीए) जिसकी स्थापना मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम के प्रचालन और प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए की गई है, नमूना आधार पर डीपीआर की अग्रेतर जांच करता है। राज्यों को एसटीए/पीटीए/एनआरआईडीए की तकनीकी टिप्पणियों के आधार पर परियोजना रिपोर्टों को संशोधित करना होता है।

इसके बाद संयुक्त सचिव सह महानिदेशक, एनआरआईडीए की अध्यक्षता में पूर्व अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में जांच के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें ग्रामीण विकास मंत्री को प्रस्तुत की जाती हैं और यदि प्रस्ताव कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

पीएमजीएसवाई के तहत सड़क कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और सड़क परिसंपत्तियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है। प्रथम स्तर पर, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को फील्ड प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा स्तर, राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (एसक्यूएम) के माध्यम से एक संरचित स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण के प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है। तीसरे स्तर पर, एनआरआईडीए द्वारा सड़क और पुल कार्यों के गुणवत्ता की निगरानी हेतु रैंडम

निरीक्षण तथा क्रियान्वयन कार्य में तैनात पदाधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) तैनात किए जाते हैं।

(ड.) पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सभी सड़क कार्यों का शुरूआती पंचवर्षीय रखरखाव भी उसी ठेकेदार के साथ की जाने वाली निर्माण की संविदा में शामिल होता है। अनुबंध को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजटीय प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है और एक अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास रखा जाता है। 5 साल के निर्माण रखरखाव ठेके की समाप्ति के बाद, पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 साल के रखरखाव के क्षेत्रीय रखरखाव ठेकों के तहत रखा जाना होता है, जिसे भी राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

योजना के कार्यान्वयन के वर्ष-वार व्यय का विवरण **omms.nic.in->progress monitoring-> Fund Position Report Live** पर देखा जा सकता है। सड़कों के रखरखाव पर राज्यों द्वारा किए गए खर्च को **omms.nic.in->EXPENDITURE ON UP MAINTENANCE** पर देखा जा सकता है।

(च) पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय विनिर्देशों, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के ग्रामीण सड़क मैनुअल (आईआरसी-एसपी: 20) और साथ ही, जहां आवश्यक हो, हिल रोड मैनुअल (आईआरसी:एसपी:48) और अन्य प्रासंगिक आईआरसी कोड और नियमावली में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार किया जाता है। ।

मानकों के अनुसार निर्माण सुनिश्चित करने के लिए उत्तर के भाग (घ) में बताए गए अनुसार एक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है। प्रत्येक सड़क की पीआईयू और राज्य गुणवत्ता मॉनिटर दोनों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण जांच की जाती है, जबकि नमूना आधार पर, एनक्यूएम कार्य के निर्माण की गुणवत्ता की जांच करते हैं। जहां कहीं भी गुणवत्ता मॉनिटर द्वारा किसी कार्य में कमी की सूचना दी जाती है, उन दोषों को दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं.1481 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण का वर्ष-वार और राज्य-वार लक्ष्य**

| लक्ष्य लंबाई (कि.मी.) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 85 | 189 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2980 | 2150 | 1189 | 400 | 475 | 514 | 600 | 1350 | 500 | 500 | 800 | 1293 | 2145 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 500 | 178 | 196 | 325 | 340 | 450 | 511 | 650 | 1000 | 1400 | 3500 | 2253 | 2910 |
| 4 | असम | 2585 | 2008 | 1224 | 1175 | 650 | 720 | 810 | 750 | 2000 | 5000 | 5230 | 2874 | 2200 |
| 5 | बिहार | 5200 | 4644 | 6000 | 6420 | 3840 | 2,900 | 4000 | 6540 | 5600 | 5000 | 4300 | 3224 | 3200 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 3500 | 906 | 1500 | 2370 | 1900 | 620 | 1950 | 2750 | 1600 | 3800 | 2500 | 4463 | 3600 |
| 7 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | गुजरात | 1500 | 596 | 425 | 140 | 200 | 990 | 2000 | 400 | 50 | 50 | 0 | 200 | 1000 |
| 9 | हरियाणा | 700 | 200 | 292 | 30 | 30 | 355 | 390 | 52 | 50 | 3 | 0 | 200 | 900 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 1500 | 693 | 750 | 980 | 550 | 260 | 650 | 500 | 1700 | 2400 | 3015 | 2500 | 3578 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 1450 | 367 | 750 | 1335 | 1285 | 750 | 975 | 1050 | 1800 | 2800 | 3000 | 3500 | 4841 |
| 12 | झारखंड | 1950 | 1482 | 1005 | 2010 | 1880 | 703 | 1340 | 3000 | 4500 | 5000 | 2700 | 2300 | 2000 |
| 13 | कर्नाटक | 2600 | 1000 | 1204 | 205 | 90 | 650 | 715 | 800 | 66 | 12 | 0 | 1000 | 2500 |
| 14 | केरल | 300 | 156 | 446 | 390 | 240 | 348 | 310 | 430 | 434 | 500 | 266 | 290 | 300 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 8000 | 4488 | 3719 | 2760 | 3350 | 2,100 | 4433 | 6200 | 5200 | 4500 | 2400 | 2550 | 4000 |
| 16 | महाराष्ट्र | 2950 | 1292 | 1700 | 680 | 440 | 550 | 780 | 1900 | 900 | 500 | 500 | 220 | 1400 |
| 17 | मणिपुर | 200 | 335 | 150 | 60 | 160 | 236 | 390 | 790 | 1000 | 900 | 2000 | 1000 | 2918 |
| 18 | मेघालय | 100 | 64 | 100 | 60 | 40 | 105 | 130 | 400 | 450 | 400 | 1000 | 1000 | 1845 |
| 19 | मिजोरम | 200 | 150 | 100 | 120 | 50 | 115 | 104 | 200 | 500 | 400 | 600 | 500 | 753 |
| 20 | नागालैंड | 150 | 150 | 200 | 310 | 190 | 160 | 175 | 150 | 50 | 200 | 400 | 200 | 461 |
| 21 | ओडिशा | 2980 | 3800 | 2400 | 4170 | 3460 | 2,400 | 3055 | 6200 | 7000 | 8000 | 8200 | 3685 | 2700 |
| 22 | पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 23 | पंजाब | 365 | 500 | 593 | 165 | 340 | 650 | 650 | 450 | 950 | 275 | 50 | 25 | 900 |
| 24 | राजस्थान | 3750 | 1700 | 400 | 1975 | 1580 | 1,550 | 2600 | 3000 | 3200 | 2600 | 150 | 2200 | 2200 |
| 25 | सिक्किम | 300 | 147 | 154 | 270 | 175 | 100 | 156 | 150 | 400 | 1000 | 800 | 153 | 678 |
| 26 | तमिलनाडु | 1170 | 1020 | 1058 | 80 | 685 | 379 | 1200 | 800 | 1500 | 2000 | 1500 | 844 | 2000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | त्रिपुरा | 800 | 400 | 314 | 340 | 170 | 250 | 250 | 400 | 650 | 500 | 450 | 250 | 544 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 6850 | 3207 | 3000 | 1230 | 2320 | 1,445 | 2500 | 3900 | 4500 | 1950 | 1000 | 1700 | 5000 |
| 29 | उत्तराखंड | 700 | 320 | 350 | 560 | 500 | 625 | 900 | 1000 | 1500 | 2510 | 2500 | 3800 | 3625 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 1720 | 2137 | 1347 | 1440 | 2010 | 1,850 | 1750 | 4100 | 3500 | 5000 | 2600 | 3000 | 1500 |
| 31 | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 900 | 400 | 500 | 600 | 770 | 1300 |
| 32 | लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 410 |
| **कुल:** | | **55,000** | **34,090** | **30,566** | **30,000** | **26,950** | **21,775** | **33,649** | **48,812** | **51,000** | **57,700** | **50,097** | **46,164** | **61,703** |

**नोट: - वर्ष 2009-10 से पूर्व के लक्ष्यों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।**